BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH

LUCKNOW

IN THE MATTER OF:

Smt. Archana Dubey ... Appellant

W/o Shri Amit Kumar Dubey

Resident of Ghode Shahid, Ghurahu Patti, Mirzapur.

Mobile: 8840098979

VERSUS

1. Public Information Officer (PIO) Shri Manish Kumar Mishra, ASP (Operation) Office of the Superintendent of Police, Mirzapur. Email: aspopmzp@gmail.com | Mobile: 9473567333

2. First Appellate Authority (FAA) Smt. Aparna Rajat Kaushik, SP Mirzapur Office of the Superintendent of Police, Mirzapur. Email: spmzr-up@nic.in | Mobile: 9473567333

SECOND APPEAL UNDER SECTION 19(3) OF THE RTI ACT, 2005

1. Details of the RTI Application:

- **Registration No:** SPMZR/R/2026/60056 filed on 05/02/2026.
- **Date of PIO Order:** 21/02/2026.
- **First Appeal No:** SPMZR/A/2026/60013 filed on 26/02/2026.
- **Date of FAA Order:** 03/04/2026.

2. Explicit Information Sought (But Not Provided):

The Appellant explicitly sought the following information under Section 6(1) of the RTI Act:

- **A.** A certified copy of the preliminary inquiry report ("Aakhya") where the IO concluded that a report of Robbery (BNS Sec 309) and House-breaking (BNS Sec 329) was a "civil dispute".

(1) अर्चना देवी

- **B.** Copies of witness statements, specifically from **coaching operator Krishna Pandey** and the **Constable from Fataha Chowki**.
- **C.** File notings justifying the use of preventive measures (Sec 126/135 BNSS) in place of registering an FIR for a cognizable offense involving ₹8 Lakh.
- **D.** Certified copy of the **video footage** recorded by the Fataha Chowki Constable during the incident on 24/10/2025.
- **E.** Information on the **Seizure Memo** for the CCTV/DVR mentioned in the complaint.

3. Grounds for Appeal:

- **Suppression of Evidence:** The Appellant provided proof of ownership (receipts), yet the PIO maintains "no evidence was found" to protect the accused.
- **Misleading Information:** The Respondents have categorized a criminal act (Robbery) as a "civil family dispute" to bypass the mandatory registration of an FIR as required by the **Lalita Kumari** judgment.
- **Evasive Response:** The FAA disposed of the appeal claiming information was sent via post because it exceeded 1 MB, yet the core digital evidence (video) remains unaddressed.

4. Relief Sought:

1. Direct the PIO to provide the **certified video footage** and the **CCTV seizure memo**.
2. Direct the PIO to provide the **complete witness statement** of Krishna Pandey.
3. Impose penalties on the PIO under **Section 20(1)** for knowingly providing false and misleading information.

Declaration:

The particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Mirzapur

Date: 22/04/2026

अर्चना देवी

Smt. Archana Dubey

(2) अर्चना देवी

रजिस्टर्ड

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्रसंख्या:ज0सू0ऑन0अपील-13/2026/SPMZR/A/2026/60013 दिनांक- मार्च 31 ,2026

आवेदक श्री अर्चना दूबे निवासी घोड़े शहीद घुरहू पट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर पिन कोड- 231001

कृपया आप अपने पत्र दिनांकित 26.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी बिन्दूवार सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती अर्चना दूबे द्वारा मांगी गई बिन्दूवार सूचना निम्नवत है।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
01.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट या आख्या की प्रमाणित प्रति प्रदान करें, जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला की डकैती(बीएनएस धारा309)और घर तोड़ने (बीएनएस धारा 309) का आरोप सिविल विवाद था।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच आख्या की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
02.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना कि उक्त जांच के दौरान दर्ज किये गये गवाहों (विशेष रूप से कोचिंग संचालक कृष्णा पाण्डेय और फतहां चौकी के कांस्टेबल) के बयानों की प्रतियां प्रदान करें।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण पर दौरान जांच सम्बन्धित से की गयी पूछताछ का उल्लेख की गयी जांच आख्य में उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
03.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना कि उस मामले में निवारक उपायों (धारा 126/135 बीएनएसएस) के उपयोग को उचित ठहराने वाले विशिष्ट कानूनी तर्क/फाइल पर दर्ज टिप्पणियां प्रदान करें, जहां तक महिला ने 28 लाख रुपये की संपत्ति से जुड़े संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट की थी।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में दौरान जांच सम्बन्धित के विरूद्ध की गयी निवारक कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न है।
04.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा जारी स्थायी परिपत्र/आदेश की एक प्रति प्रदान करें, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिये एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य (सीसीटीवी/डीवीआर) का संरक्षण शामिल है।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना यू0पी0 पुलिस की ऑफिशियल बेवसाइट पर उपलब्ध है जिसे ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
05.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना कि बताये कि जांच अधिकारी ने संज्ञेय अपराधों (ललिता कुमार और अमरनाथ दूबे के मामले के अनुसार) को स्पष्ट रूप से उजागर करने वाले मामलों में प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया। यदि हां तो उस संतुष्टि का रिकॉर्ड प्रदान करें।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न है।
06.	इस बिन्दु में मांगी गयी सूचना कि इस बारे में जानकारी प्रदान करें कि क्या शिकायत में उल्लिखित सीसीटीवी/डीवीआर के लिये जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था। यदि नही, तो डिजिटल साक्ष्य संरक्षण प्रोटोकॉल का पालन न करने का कारण बताये।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक - 02 वर्क ।

पत्र संख्या:ज0सू0ऑ-......(353)/26

क्षेत्राधिकारी नगर

जनपद मीरजापुर।

प्रतिलिपि – जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने पत्र संख्याः ज0सू0ऑन0अपील-13/2026/SPMZR/A/2026/60013 दिनांकित 27.02.2026 के संदर्भ मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रारुप - जनता द्वारा दिय गय शिकायती प्रा0 पत्र

1	सन्दर्भ संख्या	60000260056909 60000260063745 60000260063770
2	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0-	श्रीमती अर्चना दूबे पत्नी अमित कुमार निवासी घूरहूपट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0 8840098979
3	विपक्षी का नाम पता व मो0न0-	विकास दूबे पुत्र स्व0 इश्वर प्रसाद दूबे निवासी घूरहूपट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर
4	शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायती/आरोप का संक्षिप्त विवरण	आवेदिका के घर मे आवेदिका के देवर व सास द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना पत्र
5	जांच करने वाले अधिकारी का नाम, पद व मो नं0-	उ0नि0 संजय सिंह चौकी प्रभारी फतहा थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर मो0नं0 7654896388
6	जांच सरांश	

श्रीमान् जी

निवेदन है कि संलग्न आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जांच मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर जाकर किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदिका अर्चना दूबे उपरोक्त के पति अमित कुमार दूबे व विपक्षी विकास दूबे पुत्रगण इश्वर प्रसाद दूबे दोनो सगे भाई है । दोनो अलग है तथा शादीशुदा है । विकास के साथ माता सवित्री देवी पत्नी इश्वर प्रसाद दूबे रहती है। इश्वर प्रसाद दूबे की मृत्यु हो चुकी है। आवेदिका के ससुर के मृत्यु के बाद आवेदिका के पति को आवेदिका के ससुर की नौकरी(शिक्षा विभाग)में मिल गयी है ।इश्वर प्रसाद दूबे आवेदिका के ससुर ने अपने जीवित रहते दो मकान घोड़े शहीद थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर बनवाया था। तथा आवेदिका के पति अमित कुमार दूबे के नाम से बैंक मे लाकर लेकर नामिनी बनाया है पिता की मृत्यु के बाद अमित के नाम से लाकर मे रखे आभूषण अन्य परिजनो को नही दिया गया है उसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमे आवेदिका के पति ने अपने भाई(विपक्षी) विकास दूबे के विरूद्ध थाना कोतवाली शहर मे मु0अ0सं0 188/25 धारा 115(2),352,351(2),333 बीएनएस पंजीकृत कराया है जिसमे आरोप पत्र संख्या 164/25 दिनांक 12.10.2025 को मा0न्यायालय प्रेषित किया गया है।आवेदिका के सास सवित्री देवी का कहना है कि आवेदिका के पति द्वारा जब तक बैंक लाकर मे रखे घर के रखे गहने मे हिस्सा नही देगी तब तक वटवारा नही करूगी । प्रार्थना पत्र पर लगाये चोरी के आरोप के सम्बन्ध मे आवेदिका से साक्ष्य मांगा गया तो देने मे असमर्थ है। प्रार्थना पत्र पर लगाये गये अन्य आरोप की जांच से पुष्टी नही हो रही है। शांति व्यावस्था के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2026 को अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

7	निष्पक्ष गवाहों का नाम पता व मो0न0	
8	आरोप सिद्ध हो रहे है या नहीं	
9	पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण	शांति व्यावस्था के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2026 को अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।
10	अन्य कोई तथ्य	

28/3/26

उ0नि0 संजय सिंह

चौकी प्रभारी फतहा

थाना को0 शहर मीरजापुर

थाना कोतवाली शहर जनपद-मीरजापुर

श्रीमान् जी ... 28.3.26

थाना को0 ...

Scanned with OKEN Scanner